# बच्चों के अनुभव एवं सामाजिक मुद्दों के साथ जुड़ाव

साहबुद्दीन अंसारी



**प्रस्तावना**

सामाजिक विज्ञान पढ़ते समय बच्चे समसामयिक मुद्दों एवं कक्षा-कक्ष के अनुभव एवं अपने सामाजिक अनुभव को समझ सकें व विषय के साथ जोड़कर देख पाएँ। मूल्यांकन का सिर्फ एक तरीक़ा नहीं है। यह देखना होगा कि बच्चों ने विषय को कितनी गहराई से समझा तथा क्या वे उसे अपने दैनिक जीवन से जोड़कर देख पा रहे हैं। यदि वे अपनी बात को लिखकर अभिव्यक्त कर पा रहे हैं जो कि उनके अनुभवों से जुड़ा है, तो यह शिक्षा के उद्देश्यों को भी पूरा करता है।

भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं जिसमें समानता, बन्धुत्व, धर्मनिरपेक्षता आदि शामिल हैं। भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं जैसे शिक्षा का अधिकार एवं बाल अधिकार। शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए संविधान में 86वाँ संशोधन करके इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 45(1), 21 में शिक्षा का अधिकार दिया गया है जिसमें 6-14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसमें बिना भेदभाव सभी लिंग,जाति,धर्म के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। साथ ही बच्चों के कुछ अधिकार भी हैं जिसमें जाति, क्षेत्र, सम्प्रदाय, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना उनके विचारों को सुना जाए व सम्मान किया जाए। घरेलू हिंसा, यातना, शोषण से बचाया जाए तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के गौरव की रक्षा की जा सके। बच्चे के विकास के लिए पर्याप्त अवसर मिलें तथा बच्चों को जोख़िम भरे कार्यों से दूर रखा जाए।

इस बात की समझ बनाने के लिए कि बच्चों ने जो कुछ पढ़ा व समझा है उसको अपनी असल ज़िन्दगी में भी महसूस करें तथा उनके आसपास इस तरह की कोई घटना या ऐसा बच्चा है जिसके अधिकारों का हनन होता हो या शिक्षा के अधिकार से वंचित हो, मैंने कक्षा 8 के बच्चों को एक प्रोजेक्ट कार्य सौंपा। जिसमें उन्हें छूट दी गई थी कि वे अपने आसपास जाकर सर्वे करें, लोगों से बात करें या ऐसे 5 बच्चों को चिन्हित करें। यदि शिक्षा के अधिकार या बाल अधिकारों से वंचित हैं तो उसके क्या कारण हैं? उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस कार्य को करने के उद्देश्य थे पहला, बच्चों ने बाल अधिकार व शिक्षा के अधिकार को कितना समझा है? दूसरा, समाज में अनेक ऐसी घटनाएँ हैं जिन्हें हम अपनी पुस्तक के साथ जोड़कर नहीं देख पाते हैं। उन्हें अपनी पुस्तक व जीवन से जोड़कर देखना तथा संवेदनशीलता का विकास करना।

इस कार्य को बच्चों ने बड़ी ख़ुशी-ख़ुशी किया। पर जब कक्षा में इस पर बात हुई तो इस प्रोजेक्ट कार्य में समाज में वंचित वर्ग, जिनके पास धन का अभाव है, जिनके माता-पिता नहीं हैं या जिनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, उनके प्रति उनकी संवेदना देखने को मिली।

साथ ही कई प्रश्न खड़े हो गए कि यदि किसी के पास धन का अभाव है, बच्चों की मजबूरी है फिर वे किसको चुनें? यदि स्कूल जाते हैं तो घर बिखर जाता है, और काम करते हैं तो बाल अधिकारों का हनन होता है। जब बच्चों ने अपने अनुभव को साझा किया तो समाज के वंचित वर्गों के प्रति एक चिन्ता थी कि सरकार ने यह लागू तो कर दिया है कि बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को मिले लेकिन क्या वास्तव में यह सम्भव है? और यदि है तो कैसे? सिर्फ काग़ज़ों में ही इसे किया जा सकता है तो वे बच्चे कैसे स्कूल जाएँगे जो होटलों या गैराजों में काम करते हैं? यदि वे स्कूल जाएँगे तो उन्हें दुकान में कौन रखेगा? वे काम करने कब जाएँगे? कानून हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है तथा हमारे अधिकारों का हनन होने से बचाता है। हमें मजबूरी में जोखिम भरे कार्य करना पड़ता है फिर भी हम उसकी शिकायत नहीं कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो परिवार के अन्य सदस्यों का क्या होगा? और भी यक्ष प्रश्न थे जिनके उत्तर उन्हीं से जानने का प्रयास किया।

बच्चों से कहा कि वे अपने अनुभव लिखकर अभिव्यक्त करें कि उन्होंने क्या महसूस किया, उन्हें क्या अच्छा लगा व समाज में सर्वे करने के बाद उनकी सोच में क्या परिवर्तन आया। क्या जो पुस्तक कह रही है, सही है? बच्चों के अनुभव बिलकुल अलग थे। वे इतने भावुक हो गए और बोले कि उन्हें बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि सरकार के हिसाब से कानून तो है पर वास्तव में ज़मीनी हक़ीक़त अलग है। जो समस्याएँ हैं उन्हें क़ानून बना देने से ही दूर नहीं किया जा सकता है। कुछ और तरीक़े सोचने की ज़रूरत है, जैसे ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोलने की आवश्यकता है जिनके घर

में वास्तव में समस्या है। वे काम तो बन्द नहीं कर सकते पर उनके लिए सामान्य समय से अलग समय पर स्कूल खोलने की आवश्यकता है ताकि उन्हें उनके काम के साथ-साथ शिक्षा भी मिल सके। तभी सही मायने में संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार एवं बाल अधिकारों को अमली जामा पहनाया जा सकता है।

**बच्चों के अनुभव**

- इस कार्य को करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यह पता चला कि हमारे गाँव में इतने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और उन बच्चों के बाल अधिकारों का हनन होता है। मुझे घर से बाहर जाने, घूमने का मौक़ा भी मिला और मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि यह पता चला कि जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं उन्हें नहीं जाने दिया जाता है। उनसे मैंने इसका कारण जानने का प्रयास किया तो डाँट भी पड़ी क्योंकि वे बताना नहीं चाहते थे।

- मैं छुट्टी के दिनों में सर्वे करने गई। मैंने कुछ बच्चों के नाम लिखे जिनके बाल अधिकारों का हनन हो रहा था। मैंने जगह-जगह जाकर बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। मैं एक घर में गई और सुमन (काल्पनिक नाम) की मम्मी से कहा कि वे सुमन को खेलने, घूमने क्यों नहीं भेजती हो? तो उसकी मम्मी ने कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं रज़ाई सिलती हूँ जिससे महीने में 800 रुपए मिल जाते हैं। अगर सुमन काम करेगी तो मेरी सहायता भी होगी और ससुराल में भी अच्छे से काम करेगी। मैंने सुमन से कहा कि तुम अपना काम जल्दी समाप्त करके खेलने आ जाया करो। इस पर सुमन की माँ मुझे डाँटने लगीं तो मुझे दुःख हुआ कि समाज के लोग अपने बच्चों को खेलने नहीं देते। और बहुत सारे बच्चों को पढ़ने का भी मौक़ा नहीं देते और वे पढ़ नहीं पाते हैं। इससे भविष्य में भारत में तरक्की कैसे होगी? भारत कैसे आगे बढ़ेगा?

- मुझे यह कार्य करने में अच्छा और बुरा दोनों लगा। मैं यह जान पाया कि हमारे गाँव, शहर एवं हमारे समाज में कितने बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं उनके बारे में मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात पहुँचाई जाए। संविधान में यह कहा गया है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है चाहे वे ग़रीब हों या अमीर हों, लड़की हो या लड़का, हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और यह भी कहा जाता है कि जो माँ-बाप अपने बच्चे को स्कूल जाने से रोकते हैं उनके साथ क़ानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। परन्तु देखा जा रहा है किसी भी माँ-बाप को क़ानून ने आज तक सज़ा नहीं दी। उनसे घर का सारा काम करवाते हैं ज़्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा किया जाता है। जबकि यह सबको पता है कि लड़की पढ़ी-लिखी हो क्योंकि वह जननी है, यदि स्त्री नहीं होगी तो पुरुष पैदा नहीं होंगे।

- मेरे गाँव में ऐसे बच्चे नहीं हैं जिनके बाल अधिकारों का हनन होता है। जो हमारे गाँव के पास दूसरा गाँव है मैं वहाँ गई। वहाँ जाकर हमने लोगों से बातचीत की। वहाँ हमें 3 बच्चे मिले जो पढ़ना तो चाहते हैं पर उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है। पूछने पर पता चला कि उनके पापा नहीं हैं और सिर्फ मम्मी कमाती हैं और बहुत-से छोटे-बड़े भाई-बहन हैं। मुझे यह कार्य करने में तो मज़ा आया पर दुःख हुआ कि समाज में ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, पर उसके बाद भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और वे छोटी उम्र में ही काम करने लगे हैं। उनके पास खेलने-कूदने, घूमने-फिरने की आज़ादी नहीं है।

- मुझे यह कार्य करने में अच्छा लगा क्योंकि मुझे बहुत-से लोगों से बात करने का मौक़ा मिला और जानकारी भी मिली। मुझे यह अच्छा नहीं लगा कि आज भी बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं।

इस प्रोजेक्ट को करते हुए बच्चों ने बहुत कुछ सीखा :

- समाज में कई ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं और उनके माता-पिता भी उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं। बच्चे इधर-उधर दुकानों में, होटलों में काम करते हैं और जो कमाते हैं उसे उल्टी-सीधी जगह ख़र्च कर देते हैं और नशे के शिकार हो जाते हैं।

- जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनकी समस्याएँ सुनने का मौक़ा मिला। कुछ घरों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैंने उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ने की सलाह दी जहाँ पर बिना फीस के पढ़ाई की जा सकती है। माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए जिससे सरकार द्वारा चलाए गए अभियान को सफल बनाया जा सके।

- समाज में कुछ लोग हैं जो कि छोटी उम्र में ही अपने बच्चों की शादी करवा देते हैं और कुछ माँ-बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं और मज़दूरी करवाते हैं।

- मैंने दो भाइयों को देखा और उनके पास जाने की कोशिश की पर जा नहीं सका तो एक दिन मैंने अपने दोस्त को भेजा। वह उनके पास जाकर पूछने लगा कि तुम्हारा नाम क्या है उसने मेरे दोस्त को बिहारी भाषा में बताया। मेरा दोस्त मेरे पास आया और बोला कि उसकी भाषा समझ

में नहीं आ रही है। मैं उन दोनों भाइयों को देखता रहा। मैंने देखा कि वे दोनों एक दुकान में रहते हैं। पहला भाई हमारे पास की दुकान में काम करता है तथा दूसरा भाई लोहे की चीज़ें बनने वाली दुकान में काम करता है।

**बच्चों के सुझाव**

- देश की तरक़्क़ी के लिए सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए।
- जो बच्चे दुकानों, गैराजों में काम करते हैं उनके लिए सामान्य स्कूल से हटकर अलग से पढ़ाने की व्यवस्था हो।
- जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वे क्या करें उनके सामने दो रास्ते होते हैं या तो स्कूल जाएँ या तो काम करें। प्राथमिकता किसे दें? यह बड़ा प्रश्न है पर, आज की ज़रूरत तो अपना जीवन चलाना है। ऐसे मेंइन बच्चों को हॉस्टल में रखकर पढ़ाई के साथ-साथ कुछ काम सिखाया जाए जिससे उनकी आमदनी भी हो और अपने घर वालों की मदद भी कर सकें।
- प्रोजेक्ट कार्य के तौर पर बड़ी कक्षाओं के बच्चों को ऐसे बच्चों को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी देनी चाहिए जिससे समाज में वंचित बच्चे भी पढ़ सकें व उसमें समाज का सहयोग भी हो।

**निष्कर्ष**

इस कार्य को करने के बाद दो बातें सामने आईं। पहला कि बच्चे इस कार्य को करने में आनन्द का अनुभव कर रहे थे और उनको यह कार्य करने में अच्छा लगा। उसका कारण यह भी रहा कि वे घर से बाहर निकले और लोगों से बातचीत की जिससे उनके अन्दर आत्मविश्वास की भावना आई और वे समाज के वास्तविक रूप को नजदीक से समझ पाए। यदि इस तरह के अनुभव उन्हें नहीं दिए जाते तो वे सिर्फ़ किताबी बातें तो समझ जाते पर वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते। बाल अधिकार एवं शिक्षा के अधिकार को समझने का मौक़ा मिला। साथ ही यह जानने का भी कि सरकारी कार्य, नियमों को लागू करने में किस-किस तरह की कमी रह जाती है,अभिभावक इन बातों को समझ नहीं पाते हैं और अपने थोड़े से लालच के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। साथ ही वे दुकानदार जो कि ऐसे बच्चों को अपने यहाँ काम देते हैं वे भी नियमों को अनदेखा करते हैं और छोटे बच्चों से काम करवाते हैं। यद्यपि इसके अनेक पहलू हो सकते हैं जिसको सोचना व समझना चाहिए कि यदि वे इन्हे काम में न रखें तो उनके सामने खाने के भी लाले पड़ सकते हैं।

दूसरा कि वे समस्यों को कैसे सुलझाएँ इसके लिए भी मौक़े मिले। इसके लिए उनका अनुभव काम आया कि किस तरह की समस्याएँ हैं और इसे कैसे बेहतर ढंग से सुलझाया जा सके इसके लिए बच्चों को एक मौका मिला, जहाँ वे अपनी बात को बेबाक़ी के साथ रख पाए बिना इस चिन्ता के कि उनकी बातों को कोई सुनेगा या नहीं। लेकिन कुछ सुझाव वाकई बेहतर हैं जैसे, मीडिया के द्वारा अपनी बात को सरकार तक पहुँचाना और प्रोजेक्ट कार्य के तौर पर बड़े बच्चों को पढ़ाने का सुझाव। जो बच्चे काम में लगे हैं उनके लिए अलग से हॉस्टल की संकल्पना जहाँ रहकर पढ़ाई के साथ-साथ उत्पादन वाले कार्य को करना, जिससे उनकी आमदनी भी हो और उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ मदद मिल सके।

**साहबुद्दीन अंसारी** अज़ीम प्रेमजी स्कूल, दिनेशपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड में शिक्षक हैं। वे 5 साल से अज़ीम प्रेमजी स्कूल में अध्यापन कर रहे हैं। उसके पहले 3 साल तक अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन में मूल्यांकन के काम से जुड़े रहे हैं। 10 साल खाद्य उद्योग में भी काम किया है। वर्तमान में वे उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान और प्राथमिक कक्षाओं में अन्य विषय पढ़ाते हैं। उनके पास शिक्षा में स्नातक की डिग्री और राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री है। उनसे sahabuddin.ansari@azimpremjifoundation.org पर सम्पर्क किया जा सकता है।